भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3338**

उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024

25 अग्रहायण, 1946 (शक)

# राष्ट्रीय खेल संघ

**3338. श्री जय प्रकाश:**

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि राष्ट्रीय खेल संघ (एनएसएफ) कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से कार्य करें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**

**(डॉ. मनसुख मांडविया)**

(क) और (ख) : सरकार खेलों के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को मान्यता देती है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 ("खेल संहिता") में एनएसएफ को मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं । खेल संहिता 31.01.2011 से लागू है और यह खेलों के विकास के लिए एनएसएफ के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है । खेल संहिता के अनुसार, एनएसएफ द्वारा लोकतांत्रिक और स्वस्थ प्रबंधन प्रथाओं का पालन किया जाना अपेक्षित है जिसके लिए उन्हें सभी स्तरों पर अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने; निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रियाएँ अपनाने; पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल संबंधी प्रतिबंधों का पालन करने; खेलों में सुशासन के मूलभूत सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाने और उनका पालन करने; सभी स्तरों पर उचित लेखांकन प्रक्रियाएँ अपनाने; उम्र संबंधी धोखाधड़ी और महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम करने; सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन करने; और सरकार द्वारा जारी आदर्श चुनाव दिशानिर्देशों के अनुसार चुनाव कराने की आवश्यकता है।

सरकार एनएसएफ द्वारा साल-दर-साल आधार पर अपनी मान्यता बनाए रखने के लिए खेल संहिता के प्रावधानों के अनुपालन पर जोर देती है। जहां भी ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है, वहां निलंबन, वार्षिक मान्यता का नवीनीकरण न करना और मान्यता वापस लेने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

****